सी प्रकार की भूमि नही रखी है तथा ना ही अन्य भूमि हक बंट मे दिये जाने धी दस्तावेज पेश किये हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की हद तक यमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त किया जाना न्यायसंगत होगा। अतः ग्राम जाखण सील–जायल के खसरा नं. 109, 94 में प्रतिवादी संख्या 1 गुमानसिंह के साथ दीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार घोषित किया जाना तथा सीलदार जायल से जरिये पत्रांक : 3651 दिनांक 09.09.2021 के प्राप्त बंटवारा ताव अनुसार स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 3, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा ाखण तहसील जायल के खसरा नं. 109, 94 में वादीगण क्रमशः रतनसिंह, ुंवरपालसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 गुमानसिंह के साथ सहखातेदार घोषित क्या जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रतनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जाखण तहसील जायल के खसरा नं. 109 रकबा 4.0388 में से रकबा 1.3462 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 94 रकबा 6.9687 हैक्टैयर में से रकबा 2.2874 हैक्टैयर घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 कुंवारपालसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जाखण तहसील जायल के खसरा नं. 109 रकबा 4.0388 में से रकबा 1.3463 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 94 रकबा 6.9687 हैक्टैयर में से रकबा 2.2873 तथा 0.1067 हैक्टैयर घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 शिम्भुसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जाखण तहसील जायल के खसरा नं. 109 रकबा 4.0388 में से रकबा 1.3463 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 94 रकबा 6.9687 हैक्टैयर में से रकबा 2.2873 हैक्टैयर घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 3 क्रमशः गुमानसिंह, पंकजकवंर के हक बंट में किसी प्रकार भूमि नही रखी है, इसलिए नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा सम्पादित की जावे।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.10.21 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला–नागौर

Scanned with CamScanner